न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट केसेज, जालोर

पीठासीन अधिकारी –– श्री कमल छंगाणी

दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या 104/2026
(CIS No 103/2026)

विजयसिंह पुत्र अभयसिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी डकातरा, पुलिस थाना बागरा, जिला जालोर

....प्रार्थी/आरोपी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक, जालोर

.... अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. , प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 98/2024 पुलिस थाना बिशनगढ़ अपराध अंतर्गत धारा 8/21, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थितः–
1–श्री पदमसिंह भाटी, अभिभाषक–प्रार्थी/आरोपी
2–विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक–राजस्थान राज्य

आदेश **दिनांक 27.03.2026**

1. प्रार्थी/आरोपी विजयसिंह की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिनकी प्रति विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी गयी। अनुसंधान पत्रावली प्रस्तुत हुई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य अनुसार दिनांक 07.07.2024 को थानाधिकारी पुलिस थाना बिशनगढ़ के उ.नि.पु. पन्नाराम मय जाब्ता थाने से 5.57 पी.एम. पर रवाना होकर गश्त करते हुए निम्बलाना गांव से थोडा आगे वक्त 7.10 पी.एम. पर पहुँचे तो रोड के किनारे दाहिने साईड में एक हुंडई आई.10 कार नंबर आर.जे.16 सीए 7827 खड़ी दिखाई दी जिसके अंदर बैठा नवयुवक को बाहर निकालकर नाम पता पूछा तो अपना नाम **नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह होना बताया** तथा गाड़ी में स्मैक होना बताया। तलाशी लेने पर गाडी के अंदर स्टेरिंग के पास डैसबोर्ड में एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में रखी 4 अलग–अलग थैलियों में रखा भुरे रंग का ठोस पदार्थ मिला जो

स्मैक होना पाया तथा चारों थैलियों सहित वजन किये जाने पर कुल **40.36 ग्राम** वजन होना पाया गया। अभियुक्त नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह को उक्त स्मैक के खरीद फरोख्त के संबंध में पूछा तो बताया कि आज वह तथा उसका दोस्त **विजयसिंह** एवं **युसुफ खान** तीनों गाड़ी में साथ रवाना होकर स्मैक पीने के लिए भागवा की तरफ जा रहे थे, तब बीच रास्ते में टायर फटने से विजयसिंह एवं युसुफ टायर ठीक करवाने गये थे एवं वह गाड़ी के पास ही रहा था। गाड़ी के संबंध में पूछा तो विजयसिंह की होना बताया। मौके पर अभियुक्त नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह को गिरफ्तार किया आदि। मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद पुलिस थाना बिशनगढ़ पहुॅच रिपोर्ट पेश की जिस पर उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व होकर प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

3. बहस सुनी गयी।

4. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक वास्ते प्रार्थी/आरोपी ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/आरोपी को झूठा फंसाया है, आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं है,आरोपी से अनुसंधान हो चुका है, अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा, आरोपी दिनांक 23.03.2026 से अभिरक्षा में है, अतः प्रार्थी/आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाए।

5. सुयोग्य विशिष्ठ लोक अभियोजक ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी के विरूद्व दो अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर एक में राजीनामा होना तथा दूसरे में सजा होना बताया है, अनुसंधान लंबित है, गंभीर अपराध है, जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

6. उभय पक्षकारान के तर्कों का मनन किया, अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का विवेचन किया।

7. यद्यपि अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में आरोपी के विरूद्व दो अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित होने जिसमें से एक प्रकरण में राजीनामा होने की सामग्री स्थित है परन्तु प्रार्थी/आरोपी के विरूद्व केवल मात्र अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित होने के आधार पर ही जमानत की सुविधा देने से इन्कार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, अपितु प्रकरण के तथ्यों के अनुसार ही जमानत आवेदन का विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है।

Authenticated Document

8. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में दिनांक 07.07.2024 को निम्बलाना गांव से थोडा आगे रोड़ के किनारे खड़ी हुंडई आई.10 कार नंबर आर.जे.16 सीए 7827 में मुख्य आरोपी नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह के कब्जे से **40.36 ग्राम** स्मैक मादक पदार्थ बरामद होना बताया है। प्रार्थी/आरोपी पर मुख्य आरोपी नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह के साथ मिलकर उक्त अवैध मादक पदार्थ स्मैक आरोपी युसुफ खान से खरीद करने का आक्षेप है परन्तु प्रकरण में बरामदसुदा स्मैक आरोपी विजयसिंह के एकल भौतिक कब्जे एवं इसकी उपस्थिति में भी बरामद होना परिलक्षित नहीं होता अपितु उक्त आरोपी नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह के एकल भौतिक कब्जे से **40.36 ग्राम** स्मैक मादक पदार्थ बरामद होना प्रकट होता है। प्रकरण में मुख्य आरोपी नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह का जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा **एस.बी.क्रिमिनल मिस. बैल एप्लीकेशन नं. 9332/2024 नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह बनाम राज्य आदेश दिनांक 29.07.2024** को स्वीकार किया जा चुका है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा **S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 861 / 2021 खेतसिंह एवं कल्याण सिंह बनाम राज्य** में पारीत निर्णय दिनांक 25.01.2021 (REPORTABLE) ((2021)(RLW)(RAJ)) पेज सं. 111 में यह प्रतिपादित किया गया है किः—

> "As per section 439 Cr.PC., the section Court as well as the High Court while considering the bail application/s of arrested accused have concurrent jurisdiction. Needless to say that while considering bail applications of similarly situated accused persons, parity has to be maintained and it should be ensured that unless any distinguishable feature or any special circumstance is in existence, the bail of a subsequently arrested accused on same footing should not be dismissed when other/s with similar allegation/s have been extended indulgence of bail.

Authenticated Document

> Furthermore, for maintaining judicial discipline it is essential that in cases where this Court has decided bail application/s of some accused in a particular case and the bail application of the co–accused comes up before the Sessions Court/Additional Session Court concerned, this Court's order/s must be referred to and duly regarded in the order/s deciding such bail application/s.

चूँकि हस्तगत प्रकरण में अन्य आरोपी नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह का जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा अन्य आरोपी युसुफ खान का भी जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का उक्त आदेश का अनुसरण करते हुए इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/आरोपी का मामला भी इनसे कतई भिन्न प्रकति का नहीं है और उपलब्ध सामग्री से उसे आरोपीगण नरेन्द्रसिंह उर्फ दशरथसिंह व युसुफ खान से Distinguish नहीं किया जा सकता। आरोपी दिनांक 23.03.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी से अनुसंधान हो चुका है। सम्पूर्ण अनुसंधान होकर नतीजा पेश होने एवं विचारण पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए तथा उपरोक्त विवेचित परिस्थतियों प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर प्रार्थी/आरोपी का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः प्रार्थी/आरोपी विजयसिंह की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय की संतुष्टि की 25,000/–, 25,000/– रूपये की दो सृदृढ़ जमानत व 50,000/– रूपये की राशि का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर निर्मुक्त किया जावे।

(कमल छंगाणी)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
(एन.डी.पी.एस.एक्ट केसेज)
जालोर

Authenticated Document

10. आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमल छंगाणी)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
(एन.डी.पी.एस.एक्ट केसेज)
जालोर

JITENDRA KUMAR PARMAR
Digitally signed by JITENDRA KUMAR PARMAR
Date: 2026.03.27 16:18:50 +0530